NHS inform
Health information you can trust

English	Hindi हिन्दी
How to see your Health Records	**अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड आप कैसे देखें**
Version 5 Produced in February 2012 Revision date February 2015	संस्करण 5 फरवरी 2012 में तैयार किया गया पुनरीक्षण तिथि फरवरी 2015
Who is this leaflet for? It is for people who use the NHS in Scotland. People using private health care services can see their health records, but this leaflet explains only how it's done in the NHS.	**यह पुस्तिका किसके लिए है?** यह उन लोगों के लिए है जो स्कॉटलैंड में NHS (National Health Service) (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा) का उपयोग करते हैं। निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोग अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड देख सकते हैं, लेकिन इस पुस्तिका में केवल यह बताया गया है कि NHS में यह कैसे किया जाता है।
What is this leaflet about? It tells you: • what your health records are • how to apply to see your health records • who can apply, and • what to do if you're unhappy about your application to see your health records.	**यह पुस्तिका किस बारे में है?** यह आपको बताती है: • आपके स्वास्थ्य के रिकार्ड क्या होते हैं • अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड को देखने के लिए आवेदन कैसे दें • आवेदन कौन दे सकते हैं, और • यदि आप अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड देखने के आवेदन को लेकर असंतुष्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए।

Why has this leaflet been produced? It's been produced to explain your rights to see and have a copy of your health records.	**यह पुस्तिका किसलिए तैयार की गई है?** यह इसलिए तैयार की गई है कि आपको अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड को देखने और उसकी प्रति प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बताया जा सके।
What are my health records? They are records that include information about your health and any care or treatment you've received. This could be, for example, test and scan results, x-rays or letters to and from NHS staff.	**मेरे स्वास्थ्य के रिकार्ड क्या हैं?** ये ऐसे रिकार्ड होते हैं जिनमें आपके स्वास्थ्य और आपके द्वारा करवाई गई किसी देखभाल या उपचार के बारे में जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, ये परीक्षण और स्कैन के परिणामों, एक्स-रे या NHS स्टाफ को लिखे गए अथवा उनसे मिले पत्र हो सकते हैं।
Why should I look at my health records? You may want to know more about treatment you have had or to check that your information is correct. It's your choice whether to look at them and there may be a charge to do this.	**मैं अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड क्यों देखूं?** आपने जो उपचार कराया है आप उसके बारे में अधिक जानना या यह जांच करना चाह सकते हैं कि आपकी जानकारी सही है। यह आपकी मर्जी है कि आप इन्हें देखना चाहते हैं या नहीं, और इसके लिए आपको शुल्क भी देना पड़ सकता है।
How and where are my health records kept? • Your records can be written on paper, held on computer or both. • Different parts of the NHS hold records. For example, your GP surgery and any hospital you have been to may hold records about you. • Your records may only be kept for a certain period of time, after which they can be destroyed. The NHS has guidelines about how long it should keep health records. If you would like more information about this, speak to the person in charge of health records at the place where your records are kept. In your GP surgery this will probably be the practice manager, and in hospitals it will probably be the health records manager.	**मेरे स्वास्थ्य के रिकार्ड कैसे और कहां रखे जाते हैं?** • रिकार्डों को कागज पर लिखकर या कंप्यूटर में दर्ज करके, या दोनों ही रूपों में, रखा जा सकता है। • रिकार्ड NHS के विभिन्न भागों द्वारा रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी GP surgery (जीपी सर्जरी) और जिस किसी अस्पताल में आप गए हों, वहां आपके बारे में रिकार्ड रखे जा सकते हैं। • आपके रिकार्ड केवल एक निश्चित समय के लिए ही रखे जा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें नष्ट किया जा सकता है। NHS के पास इस बारे में दिशानिर्देश हैं कि उसे स्वास्थ्य के रिकार्ड अपने पास कितने समय तक रखने चाहिए। यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर आपके रिकार्ड रखे गए हैं उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति से बात करें। आपकी GP surgery में यह व्यक्ति संभवत: प्रैक्टिस मैनेजर होगा, और अस्पतालों में यह संभवत: रिकार्ड मैनेजर होगा।

• It's important that your records are kept up to date. You should tell NHS staff when your personal information changes (for example, your address or phone number), or if you are going to be out of the UK for a long time.	• यह महत्वपूर्ण है कि आपके रिकार्ड अद्यतन रखे जाएं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी (उदाहरण के लिए, आपका पता या फोन नंबर) में परिवर्तन होने पर, या यदि आप लंबे समय तक यू.के. से बाहर रहने वाले हों, आपको NHS स्टाफ को जानकारी देनी चाहिए।
The Emergency Care Summary Most patients in Scotland now have an Emergency Care Summary. This gives basic information about your health (for example, your medication) that may help NHS staff if you need urgent medical care when your GP surgery is closed, or if you go to an accident and emergency (A&E) department. NHS staff can also use your Emergency Care Summary if your GP refers you to an outpatient clinic or for admission to hospital. For example, it will help the NHS staff to check whether your medication has changed since the GP wrote your referral letter. Before any member of staff looks at your Emergency Care Summary they will usually ask your permission. If you are too unwell to give permission, they may need to read your Emergency Care Summary without your agreement, to give you the best possible care. For more information, see the leaflet Your Emergency Care Summary – What does it mean for you? You can get a copy from your GP surgery, by phoning the NHS inform Helpline on 0800 22 44 88, or on the internet (www.hris.org.uk).	**Emergency Care Summary (आपातकालीन देखभाल का सारांश)** स्कॉटलैंड में अधिकांश मरीजों को अब Emergency Care Summary प्राप्त है। इससे आपके स्वास्थ्य के बारे में बुनियादी जानकारी मिलती है (उदाहरण के लिए, आपकी दवाइयां) जो NHS स्टाफ के लिए तब मददगार हो सकती है जब आपकी GP surgery बंद हो, या आप accident and emergency (A&E) (दुर्घटना तथा आपात स्थिति) विभाग में जाएं और आपको अत्यावश्यक चिकित्सीय देखभाल की जरूरत हो। NHS स्टाफ आपके Emergency Care Summary का उपयोग यह जानने के लिए भी कर सकता है कि क्या आपके GP द्वारा आपको किसी बाह्य रोगी क्लीनिक में या अस्पताल में भर्ती होने के लिए भेजा गया था। उदाहरण के लिए NHS स्टाफ को यह जांच करने में मदद मिलेगी कि आपके सामान्य चिकित्सक GP द्वारा पिछली बार रेफ़रल पत्र लिखने के बाद से आपकी दवाइयों में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। आपकी Emergency Care Summary को स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा देखे जाने से पहले वे सामान्यतः आपकी अनुमति मांगेंगे। यदि आप इतने अस्वस्थ हैं कि अनुमति नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि आपको सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए आपकी सहमति के बिना ही उन्हें आपकी Emergency Care Summary आपको पढ़कर सुनानी पड़े। अधिक जानकारी के लिए, आपकी Your Emergency Care Summary – What does it mean for you? (आपकी आपातकालीन देखभाल का सारांश - इसका आपके लिए क्या अर्थ है) पुस्तिका देखें। इसकी प्रति आप अपनी GP surgery से NHS inform फोन-सहायता (NHS इन्फॉर्म हेल्पलाइन) को 0800 22 44 88 पर फोन करके या इंटरेनट पर (www.hris.org.uk) पर प्राप्त कर सकते हैं।

The Key Information Summary Patients with particular needs (for example, palliative care, support at home or care from family members) and patients living with long-term conditions may also have a Key Information Summary. This includes information that patients want NHS staff looking after them to know (for example, who should be contacted in an emergency, what conditions they have and what treatment they receive). Your GP will discuss with you what information can be included in your Key Information Summary, if you need one.	**Key Information Summary (प्रमुख जानकारी का सारांश)** खास जरूरतों वाले रोगियों (उदाहरण के लिए सहानुभूतिपूर्ण देखभाल, घर पर सहारा या परिवार के लोगों द्वारा देखभाल) तथा लंबी बीमारियों वाले रोगियों के पास Key Information Summary हो सकती है। इसमें वह जानकारी शामिल होती है जिसे रोगी चाहते हैं कि उनकी देखभाल करने वाला NHS स्टाफ जाने (उदाहरण के लिए, आपात स्थिति में किससे संपर्क किया जाए, उनकी बीमारी क्या है और उनको क्या उपचार मिल रहा है)। अगर आपको जरूरत हो, तो आपका GP आपसे चर्चा करेगा कि कौन-सी जानकारी आपकी Key Information Summary में शामिल की जा सकती है।

How do I ask to see my health records?
• You can see your records and, if you wish, you can get a copy.
• You don't have to see or get a copy of all your records – you can ask for parts of them. You may have to give information to help identify what you want to see.
• If you ask a member of NHS staff providing your care, they may show you your records or ask you to come back to do this. However, staff don't have to show you your records unless you ask in writing.
• To ask in writing, send a letter to the practice manager at your GP surgery, or the health records manager at the hospital or other NHS organisation that has your records. In the letter you should say if you want to:
  ▪ just see your records or also have a copy
  ▪ get all or just part of your records.
• You may need to fill in an application form and give proof of your identity.
	अपने स्वास्थ्य के रिकार्ड देखने के लिए मुझे किससे कहना चाहिए?
	• आप अपने रिकार्ड देख सकते हैं और, यदि आप चाहें, तो इनकी प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।
	• आपको अपने सभी रिकार्डों को नहीं देखना हो या उनकी प्रतियां प्राप्त नहीं करनी हों - तो आप उनके कुछ अंशों के लिए कह सकते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं इसकी पहचान करवाने में मदद करने के लिए आपको जानकारी देनी पड़ सकती है।
	• यदि आप अपनी देखभाल कर रहे NHS स्टाफ के किसी सदस्य से कहें, तो वे आपको आपके रिकार्ड दिखा सकते हैं या आपको यह कह सकते हैं कि ऐसा करने के लिए दुबारा आएं। हालांकि, जब तक आप लिखित रूप में नहीं कहेंगे तब तक स्टाफ के लिए आपको रिकार्ड दिखाना जरूरी नहीं होता।
	• लिखित रूप में कहने के लिए अपनी GP surgery के प्रैक्टिस मैनेजर, या अस्पताल के रिकार्ड मैनेजर या आपके रिकार्ड रखने वाले अन्य NHS संगठन को पत्र भेजें। पत्र में आपको बताना चाहिए कि:
	  ▪ आप सिर्फ अपने रिकार्ड देखना चाहते हैं या उनकी प्रति भी लेना चाहते हैं
	  ▪ आपको अपने पूरे रिकार्ड चाहिए या उनका कोई अंश ।
	• आपको एक आवेदन-पत्र भरने और अपनी पहचान का प्रमाण देने की जरूरत पड़ सकती है।

• You should say if you would like your records to be given to you in a format that meets your needs. This will be done wherever possible. • You don't need to give a reason for wanting to see your health records.	• आपको यह बताना चाहिए कि क्या आपको रिकार्ड किसी ऐसे प्रारूप में चाहिए जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। जहां भी संभव हो यह किया जाएगा। • आपको अपने स्वास्थ्य रिकार्डों को देखने की इच्छा के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती है।
Who can apply to see my health records? • You can usually apply if you're able to understand what is involved in asking to see your records. • Someone else can apply to see your records if you are an adult and: ▪ you agree to this, or ▪ you can't make decisions for yourself or can't tell others your decisions. In this case, someone who has a welfare power of attorney or a welfare guardianship order can ask to see your records. • If you are a child: ▪ someone who has parental responsibility for you can apply to see your records, but usually only if you agree to this ▪ if you don't understand what is involved, your parent, guardian, or main carer can apply to see your records.	**मेरे स्वास्थ्य के रिकार्डों को देखने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?** • सामान्यत:, यदि आप यह समझ सकते हैं कि अपने रिकार्ड देखने के लिए कहने हेतु क्या करना पड़ता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। • कोई अन्य व्यक्ति आपके रिकार्ड देखने के लिए आवेदन दे सकता है यदि आप वयस्क हैं और: ▪ आप इसकी सहमति देते हैं, या ▪ आप अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते या दूसरे लोगों को अपने निर्णय नहीं बता सकते। इस मामले में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास welfare power of attorney (वेल्फेयर पावर ऑफ अटर्नी) या welfare guardianship order (वेल्फेयर गार्जियनशिप ऑर्डर) हो, आपके रिकार्ड देखने के लिए कह सकता है। • यदि आप बच्चे हैं: ▪ तो आपके माता-पिता का दायित्व निभाने वाला कोई व्यक्ति आपके रिकार्ड देखने के लिए आवेदन दे सकता है, लेकिन सामान्यत: सिर्फ तभी जब आप इसके लिए सहमत हों ▪ यदि आप इसकी आवश्यकताओं को नहीं समझते, तो आपके माता-पिता, अभिभावक, या मुख्य देखभालकर्ता द्वारा आपके रिकार्ड देखने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
If I ask to see my records, what will I see? • If you look at your records at your GP surgery or hospital, someone will probably be with you while you do this. You may see a paper file, a computer printout or a photocopy.	**यदि मैं अपने रिकार्ड दिखाने के लिए कहूं, तो मुझे क्या दिखाया जाएगा?** • यदि आप अपनी GP surgery या अस्पताल में अपने रिकार्ड देखेंगे तो संभव है कि कोई व्यक्ति रिकार्ड देखते समय आपके साथ हो। आप जो देखेंगे वह कोई पेपर फाइल, कंप्यूटर प्रिंटआउट या फोटोकापी हो सकती है।

• If you ask for a copy, you may get a computer printout or a photocopy.
• NHS staff should explain any words you don't understand.
• Some information on your records may be kept from you. For example, you won't be able to see information that could:
  ▪ cause serious harm to your physical or mental health, or someone else's
  ▪ identify another person (except NHS staff who have treated you), unless that person gives permission.
• NHS staff don't have to tell you if information has been kept from you. If you think information has been kept from you and you're unhappy about this, see 'What if I'm unhappy about my application to see my health records?' on page 9.
• When someone else is allowed to see your records, that person will not usually receive information that you have told NHS staff you don't want them to have.
	• यदि आप प्रति के लिए कहते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रिंटआउट या फोटोकापी दी जा सकती है।
	• NHS स्टाफ को चाहिए कि वह ऐसी शब्दावली या उन शब्दों को स्पष्ट करे, जो आप न समझते हों।
	• आपके रिकार्ड में से कुछ जानकारी आपसे छिपाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, आप ऐसी जानकारी नहीं देख सकेंगे जो:
	  ▪ आपके या किसी और के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान पैदा करती हो
	  ▪ किसी अन्य व्यक्ति की पहचान बताती हो (NHS स्टाफ के उन सदस्यों के अलावा जिन्होंने आपका इलाज किया है), जब तक वह व्यक्ति अनुमति न दे।
	• अगर जानकारी आपसे छिपाई गई है तो NHS स्टाफ के लिए आपको यह बताना जरूरी नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आपसे जानकारी छिपाई गई है और आप इसे लेकर असंतुष्ट हैं, तो पृष्ठ 9 पर 'यदि अपने स्वास्थ्य रिकार्ड देखने के आवेदन को लेकर मैं असंतुष्ट हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?' देखें।
	• जब किसी और को आपके रिकार्ड देखने की अनुमति दी गई हो, तो वह व्यक्ति आम तौर पर ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेगा जिसके लिए आपने NHS स्टाफ से कहा हो कि वह जानकारी उस व्यक्ति को न दी जाए।

How much does it cost? • If your health records have been added to in the last 40 days, you will not have to pay just to look at them. If they have not been added to in the last 40 days, you will have to pay up to £10 just to look at them. • You will have to pay if you want to get a copy of all or part of your health records. The cost depends on where your health records are held (on computer, on paper, or both). It also depends on how much information there is and whether documents	**इसके लिए कितना खर्च होता है?** • यदि आपके स्वास्थ्य रिकार्ड पिछले 40 दिनों में जोड़े गए हैं, तो उन्हें सिर्फ देखने भर के लिए आपको भुगतान नहीं करना होगा। यदि वे पिछले 40 दिनों में नहीं जोड़े गए हैं तो उन्हें देखने के लिए आपको £10 तक का भुगतान करना पड़ेगा। • यदि आप अपने पूरे या आंशिक स्वास्थ्य रिकार्ड की एक प्रति चाहते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके स्वास्थ्य रिकार्ड कहां रखे गए हैं (कंप्यूटर पर, कागजों में या दोनों जगह)। यह इस पर भी निर्भर करता है कि जानकारी कितनी है और क्या उसमें एक्स-रे जैसे दस्तावेज़ों की कापी की जानी है।

such as x-rays have to be copied. ▪ If your health records are held on computer, you will have to pay up to £10 for a copy. ▪ If your health records are held on paper, you will have to pay up to £50 for a copy. ▪ If your health records are held on computer and on paper, you will have to pay up to £50 for a copy. • After you make a request to see your health records, we will always let you know what the cost will be, so you can decide whether you want to pay.	▪ यदि आपके स्वास्थ्य रिकार्ड कंप्यूटर पर हैं तो आपको प्रति कापी £10 तक का भुगतान करना पड़ेगा। ▪ यदि आपके स्वास्थ्य रिकार्ड कागजों में हैं, तो आपको प्रति कापी £50 तक का भुगतान करना पड़ेगा। ▪ यदि आपके स्वास्थ्य रिकार्ड कंप्यूटर और कागजों, दोनों में हैं, तो आपको प्रति कापी £50 तक का भुगतान करना पड़ेगा। • आपके द्वारा अपने स्वास्थ्य रिकार्ड देखने का अनुरोध किए जाने पर हम हमेशा आपको इस पर लगने वाले खर्च के बारे में बताएंगे, जिससे आप निर्णय कर सकें कि क्या आप भुगतान करना चाहते हैं।
After I've applied, how long will it take to get my records? After you give NHS staff enough information to identify you and your records, and pay any fee, you will get the information within 40 days.	**मेरे आवेदन करने के बाद मुझे अपने रिकार्ड मिलने में कितना समय लगेगा?** आपके द्वारा NHS स्टाफ को अपनी और अपने रिकार्डों की पहचान की पर्याप्त जानकारी देने और यदि कोई शुल्क हो तो उसे चुकाने के बाद आपको 40 दिन के भीतर जानकारी मिल जाएगी।
I want to see my dental records. Do the same rules apply? Yes – you should speak to someone at the dental practice about this.	**मैं अपने दांतों का रिकार्ड देखना चाहता/चाहती हूं। क्या वही नियम लागू होंगे?** हां - आपको दंत चिकित्सालय में किसी से इस बारे में बात करनी चाहिए।
What if I think information in my health records is incorrect? If you think information in your records is incorrect, first talk to a member of NHS staff providing your care. What happens next depends on whether or not NHS staff decide the information is incorrect. • If they decide the information is incorrect, they will put a line through it so that people can still read it but can see that it has been corrected. They will also attach a note to your records explaining why this has been	**यदि मुझे लगता है मेरे स्वास्थ्य के रिकार्ड की जानकारी गलत है तो क्या होगा?** यदि आप सोचते हैं तो आपके रिकार्ड में दी गई जानकारी गलत है तो पहले आप सेवा देखभाल प्रदान कर रहे NHS स्टाफ से बात करें। इसके बाद क्या होगा यह इस बात के निर्णय पर निर्भर करता है कि NHS स्टाफ इस जानकारी को सही मानता है या गलत। • यदि वे निर्णय करते हैं कि जानकारी गलत है तो वे उस पर एक आड़ी रेखा खींच देंगे ताकि लोग फिर भी उसे पढ़ सकें और देख सकें कि इसमें सुधार कर दिया गया है। वे आपके रिकार्डों के साथ यह स्पष्ट करते हुए एक टिप्पणी भी लगाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है।

done. • If they decide the information is correct, they will not change it. However, you can choose to have a note attached to your records explaining why you think the information is incorrect. Usually, information can't be removed from your records unless a court orders it. NHS staff need your full records to understand earlier decisions that were made about your care and treatment.	• यदि वे निर्णय करते हैं कि जानकारी सही है, तो वे इसे नहीं बदलेंगे। हालांकि आप अपने रिकार्डों में यह स्पष्ट करते हुए टिप्पणी लगाना चुन सकते हैं कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि वह जानकारी गलत है। आम तौर पर, जब तक कोई अदालत आदेश न दे आपके रिकार्डों से जानकारी नहीं हटाई जा सकती है। आपकी देखभाल और इलाज के संबंध में पूर्व के निर्णयों को समझने के लिए NHS स्टाफ को आपके पूरे रिकार्ड की जरूरत होती है।
Can I claim compensation? You can claim compensation if you suffer physical, psychiatric, or financial damage because: • information in your records is inaccurate • your information is accidentally lost, damaged or destroyed, or disclosed without permission.	**क्या मैं मुआवजे का दावा कर सकता/सकती हूं?** आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं यदि आपको निम्न कारणों से कोई शारीरिक, मानसिक या वित्तीय क्षति हुई हो: • आपके रिकार्डों में जानकारी सही नहीं है • आपकी जानकारी दुर्घटनावश गुम हो गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो या नष्ट हो गई हो, अथवा बिना अनुमति के प्रकट की गई हो।
Can I see the health records of someone who has died? • The law allows you to see records made after 1 November 1991. However, records are usually only kept for three years after death. • You can only see that person's records if you are their personal representative, administrator or executor. If you have a claim as a result of that person's death, you can only see information that is relevant to the claim. • You may be asked for proof of your identity, and of your relationship to the person who has died. • You won't be able to see information that could:	**क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकार्ड देख सकता/सकती हूं जिसकी मृत्यु हो चुकी है?** • कानून आपको 1 नवंबर, 1991 के बाद तैयार किए गए रिकार्ड को देखने की अनुमति देता है। लेकिन सामान्यत, रिकार्ड मृत्यु के बाद केवल तीन साल तक रखे जाते हैं। • आप उस व्यक्ति के रिकार्ड तभी देख सकते हैं यदि आप उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधि, व्यवस्थापक या निष्पादक हैं। अगर आपका उस व्यक्ति की मौत के कारण मुआवजे का दावा बनता हो, तो आप केवल ऐसी सूचना देख सकते हैं जो उस दावे से संबंधित हो। • आपसे अपनी पहचान और मरने वाले व्यक्ति के साथ आपके संबंध का सबूत देने के लिए कहा जा सकता है। • आप ऐसी जानकारी नहीं देख सकेंगे जो: ▪ आपके या किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान पैदा करती हो ▪ किसी अन्य व्यक्ति (NHS स्टाफ के उन सदस्यों के अलावा जिन्होंने रोगी का

▪ cause serious harm to your physical or mental health, or anyone else's ▪ identify another person (except members of NHS staff who have treated the patient), unless that person gives their permission. • You won't be able to see the records of someone who made it clear that they didn't want other people to see their records after their death.	इलाज किया है) की पहचान बता सकती हो, जब तक कि उस व्यक्ति ने अनुमति न दी हो। • आप किसी ऐसे व्यक्ति का रिकार्ड नहीं देख पाएंगे जिसने साफ बता दिया हो कि वह नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु के बाद उसके रिकार्ड को अन्य व्यक्ति देखें।
What if I'm unhappy about my application to see my health records? • Ask to speak to the person in charge of health records at the place where your records are kept. In your GP surgery this person will probably be the practice manager, and in hospitals it will probably be the health records manager. • If you are still unhappy, you can make a complaint. The leaflet '**Making a complaint about the NHS**' explains how to do this. See pages 14 for where to get a copy. • If you have complained but are unhappy with how the NHS handled your complaint, you can complain to the Information Commissioner's Office. You can only do this if you have already used the NHS Complaints Procedure. See page 10 for how to contact the Information Commissioner's Office.	**यदि अपने स्वास्थ्य रिकार्ड देखने के आवेदन को लेकर मैं असंतुष्ट हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?** • जिस स्थान पर आपके रिकार्ड रखे रखे हुए हैं उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति से बात करने के लिए पूछें। आपकी GP surgery में यह व्यक्ति संभवत: प्रैक्टिस मैनेजर, और अस्पतालों में संभवत: रिकार्ड मैनेजर होगा। • यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। '**NHS के बारे में शिकायत कैसे करें**' (Making a complaint about the NHS) पुस्तिका में बताया गया है कि यह कैसे करें। इसकी प्रति कहां से प्राप्त करें यह जानने के लिए पृष्ठ 14 देखें। • यदि आपने शिकायत की है लेकिन NHS द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं तो आप Information Commissioner's Office (सूचना आयुक्त के कार्यालय) को शिकायत कर सकते हैं। यह आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले ही NHS Complaints Procedure (NHS की शिकायत प्रक्रिया) का उपयोग कर चुके हों। Information Commissioner's Office से संपर्क कैसे करें, इसके लिए पृष्ठ 10 देखें।
How to find out more • For more information about anything in this leaflet, contact: ▪ a member of NHS staff involved in your care ▪ the NHS inform hron Helpline on 0800 22 44 88 (textphone 18001 0800 22 44	**अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें** • इस पुस्तिका में किसी भी चीज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित से संपर्क करें: ▪ आपकी देखभाल से जुड़े NHS स्टाफ के किसी सदस्य से ▪ NHS inform फोन-सहायता (NHS इन्फॉर्म हेल्पलाइन)

88; the helpline also provides an interpreting service) ▪ your local citizens advice bureau (find your nearest bureau on the internet at **www.cas.org.uk** or in your local phone book) ▪ **Information Commissioner's Office – Scotland** 45 Melville Street Edinburgh EH3 7HL Phone **0131 244 9001** Email **Scotland@ico.gsi.gov.uk** Website **www.ico.gov.uk**	0800 22 44 88 (textphone (टेक्स्टफोन) 18001 0800 22 44 88 पर; हेल्पलाइन दुभाषिया सेवाएं भी प्रदान करती है) ▪ आपके स्थानीय citizens advice bureau (नागरिक सलाह ब्यूरो) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** पर अपने नज़दीकी ब्यूरो का पता लगाएं या अपनी स्थानीय फोन बुक में देखें) ▪ **Information Commissioner's Office - Scotland** 45 Melville Street Edinburgh EH3 7HL फोन **0131 244 9001** ईमेल **Scotland@ico.gsi.gov.uk** वेबसाइट **www.ico.gov.uk**
• For legal advice, contact a solicitor or legal advisor. For general information about becoming a legal proxy, contact **The Office of the Public Guardian**: Hadrian House Callendar Business Park Callendar Road Falkirk FK1 1XR Phone **01324 678 300** Email **opg@scotcourts.gov.uk** Website **www.publicguardian-scotland.gov.uk** • For more information about the rights of people with a mental illness, learning disability, dementia or other mental disorder, contact: **The Mental Welfare Commission for Scotland** Thistle House, 91 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HE Phone **0131 313 8777**	• कानूनी सलाह के लिए, किसी वकील या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। कानूनी प्रॉक्सी बनने के बारे में सामान्य जानकारी के लिए सपर्क करें **The Office of the Public Guardian (पब्लिक गार्जियन का कार्यालय)**: Hadrian House Callendar Business Park Callendar Road Falkirk FK1 1XR फोन **01324 678 300** ईमेल **opg@scotcourts.gov.uk** वेबसाइट **www.publicguardian-scotland.gov.uk** • मानसिक रोग, सीखने में अक्षमता, उन्माद या अन्य मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: **The Mental Welfare Commission for Scotland (स्कॉटलैंड के लिए मानसिक कल्याण आयोग)** Thistle House, 91 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HE फोन **0131 313 8777**

Freephone number **for service users and carers** **0800 389 6809** Email enquiries@mwcscot.org.uk Website www.mwcscot.org.uk The Mental Welfare Commission for Scotland can also give you information and advice on people's rights under the Adults with Incapacity Act.	इस सेवा का उपयोग करने वालों और देखभाल करने वालों के लिए मुफ्त फोन नंबर **0800 389 6809** ईमेल **enquiries@mwcscot.org.uk** वेबसाइट **www.mwcscot.org.uk** स्कॉटलैंड का The Mental Welfare Commission for Scotland आपको Adults with Incapacity Act (अक्षम वयस्क अधिनियम) के तहत लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी और सलाह भी दे सकता है।
• For more information about how the law affects children and young people, contact: **The Scottish Child Law Centre** 54 East Crosscauseway Edinburgh EH8 9HD Information helpline **0131 667 6333** Freephone number **0800 328 8970** (for people under 18) Free text enquiry service: text 'SCLC' followed by your question to **80800** (replies will be sent to your mobile) Email **enquiries@sclc.org.uk** Website **www.sclc.org.uk**	• कानून का बच्चों और युवा लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें: **The Scottish Child Law Centre (स्कॉटिश बाल कानून केंद्र)** 54 East Crosscauseway Edinburgh EH8 9HD सूचना हेल्पलाइन **0131 667 6333** मुफ्त फ़ोन नंबर **0800 328 8970** (18 से कम आयु के लोगों के लिए) मुफ्त टेक्स्ट पूछताछ सेवा : 'SCLC' के बाद अपना प्रश्न लिखकर **80800** पर टेक्स्ट भेजें। उत्तर आपके मोबाइल पर भेजे जाएंगे) ईमेल **enquiries@sclc.org.uk** वेबसाइट **www.sclc.org.uk**
• If you would like to see your health records and are not registered with a GP, or no longer live in Scotland, contact the Practitioner Services Division of NHS National Services Scotland at one of their three local offices: ▪ Aberdeen office – phone **01224 358 400** ▪ Edinburgh office – phone **0131 275 7038** ▪ Glasgow office – phone **0141 300 1300**	• यदि आप अपने स्वास्थ्य रिकार्ड देखना चाहते हैं और किसी GP के पास पंजीकृत नहीं हैं, या अब स्कॉटलैंड में नहीं रहते हैं, तो NHS National Services Scotland (नेशनल सर्विसेज़ स्कॉटलैंड) के Practitioner Services Division (प्रैक्टिशनर सेवा विभाग) से उनके तीन स्थानीय कार्यालयों में से किसी से संपर्क करें: ▪ एबरडीन कार्यालय (Aberdeen office) - फोन **01224 358 400** ▪ एडिनबर्ग कार्यालय (Edinburgh office) - फोन **0131 275 7038** ▪ ग्लास्गो कार्यालय (Glasgow office) - फोन **0141 300 1300**

Information about health rights

- **The NHS and You** explains what you can expect from the NHS, and what the NHS expects from you.
- **Confidentiality – it's your right** explains how the NHS protects your personal health information.
- **Making a complaint about the NHS** tells you how to complain using the NHS complaints procedure.
- **Consent – it's your decision** explains how you should be involved in decisions about your health care and treatment.
- **Health care for overseas visitors** is a set of factsheets explaining what NHS services overseas visitors can expect to receive while they are in Scotland.
- **The Charter of Patient Rights and Responsibilities** is a summary of the rights and responsibilities patients have when using NHS services in Scotland (available from October 2012).

स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी

- **NHS और आप** (The NHS and You) में बताया गया है कि आप NHS से क्या आशा कर सकते हैं, और NHS आपसे क्या आशा करती है।
- **गोपनीयता - यह आपका अधिकार है** (Confidentiality – it's your right) में बताया गया है कि NHS आपकी निजी स्वास्थ्य सूचना की रक्षा कैसे करती है।
- **NHS के बारे में शिकायत कैसे करें** (Making a complaint about the NHS) में बताया गया है कि आप NHS की शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए शिकायत किस प्रकार कर सकते हैं।
- **सहमति - यह आप का निर्णय है** (Consent – it's your decision) में बताया गया है कि आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा के बारे में निर्णय लेने में कैसे शामिल होना चाहिए।
- **विदेशी मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल** (Health care for overseas visistors) यह एक तथ्यपत्र शृंखला है जिसमें बताया गया है कि स्कॉटलैंड में ठहरने के दौरान विदेशी पर्यटक कौन-सी NHS सेवाएं प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं।
- **रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों का चार्टर** (The Charter of Patient Rights and Responsibilities) रोगियों को प्राप्त अधिकारों और जिम्मेदारियों का सारांश है जो उन्हें तब मिलते हैं जब वे स्कॉटलैंड में NHS की सेवाओं का उपयोग करते हैं (अक्तूबर 2012 से उपलब्ध)।

Information for young people • **Consent – your rights** explains how you should be involved in decisions about your health care and treatment. • **Confidentiality – your rights** tells you how the health service keeps information about you private. • **Have your say! Your right to be heard** tells you how to give feedback or make a complaint about the NHS. **Information for carers** • **Caring and consent** explains your right to be involved in decisions about the health care of the adult you care for. **Information about eHealth** • **eHealth – using computers to improve your healthcare** tells you how eHealth will affect the service you receive from the NHS, how your information will be stored and shared safely and legally, and what may happen in the future.	**युवा लोगों के लिए सूचना** • **सहमति - आपके अधिकार** (Consent – your rights) में बताया गया है कि आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा के बारे में निर्णय लेने में कैसे शामिल होना चाहिए। • **गोपनीयता - आपके अधिकार** (Confidentiality - your rights) में बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवा आपके बारे में जानकारी को किस तरह गोपनीय रखती है। • **अपनी बात कहें! कहने का आपका अधिकार** (Have your say! Your right to be heard) में बताया गया है कि NHS के बारे में अपना फीडबैक किस तरह दें या शिकायत किस तरह करें। **देखभाल करने वालों के लिए जानकारी** • **देख-भाल और सहमति** (Caring and consent) में उस वयस्क के स्वास्थ्य की देखभाल के निर्णयों में शामिल होने के आपके अधिकार के बारे में बताया गया है जिसकी देखभाल आप करते हैं। **eHealth (ईस्वास्थ्य) के बारे में जानकारी** • **eHealth – using computers to improve your healthcare** में आपको बताया गया है कि आपको NHS से जो सेवा प्राप्त होती है उसे ईस्वास्थ्य (eHealth) कैसे प्रभावित करेगा, आपकी जानकारी कैसे संगृहीत होगी और सुरक्षित तथा कानूनी रूप से साझा की जाएगी, और भविष्य में क्या हो सकता है।

You can get this information from: • GP and dental surgeries, hospitals and other places where you get NHS care • the NHS inform Helpline on **0800 22 44 88** (textphone 18001 0800 22 44 88; the helpline also provides an interpreting service) • **www.hris.org.uk** • your local citizens advice bureau (find your nearest bureau on the internet at www.cas.org.uk or in your local phone book).	यह जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं: • GP और डेंटल सर्जरियों, अस्पतालों और उन दूसरे स्थानों से जहां से आपको NHS देखभाल प्राप्त होती है • NHS inform फोन-सहायता **0800 22 44 88** (textphone (टेक्स्टफोन) 18001 0800 22 44 88 पर; हेल्पलाइन दुभाषिया सेवाएं भी प्रदान करती है) • **www.hris.org.uk** • अपने स्थानीय citizens advice bureau (नागरिक सलाह ब्यूरो) से (इंटरनेट पर www.cas.org.uk से अपने नज़दीकी ब्यूरो का पता लगाएं या अपनी स्थानीय फोन बुक में देखें)।
Your comments please! We want to know what you think about this leaflet. Please give us your comments: • by post to **NHS inform**, NHS 24, Golden Jubilee National Hospital, Beardmore Street, Clydebank G81 4HX • by emailing us at **nhs.inform@nhs24.scot.nhs.uk** • by visiting our website at **www.nhsinform.co.uk** and clicking on the 'contact us' link, or • by phoning us on **0800 22 44 88**.	**कृपया अपनी टिप्पणियां भेजें!** हम जानना चाहते हैं कि आप इस पुस्तिका के बारे में क्या सोचते हैं। कृपया हमें अपनी टिप्पणियां भेजें : • **NHS inform**, NHS 24, Golden Jubilee National Hospital, Beardmore Street, Clydebank G81 4HX को डाक से • **nhs.inform@nhs24.scot.nhs.uk** पर हमें ईमेल भेजकर • हमारी वेबसाइट **www.nhsinform.co.uk** पर जाकर और 'contact us' लिंक पर क्लिक करके, या • हमें **0800 22 44 88** पर फोन करके।

We have tried our best to make sure the information in this leaflet is correct. However, the leaflet is for guidance only so you should not rely on it as a full statement of the law. If you are thinking about taking legal action, you should contact a solicitor, a citizens advice bureau, the Patient Advice & Support Service or other advice agency. **Produced by NHS inform**	हमारी यह पूरी कोशिश रही है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इस पुस्तिका में दी गई जानकारी सही है। तथापि, यह पुस्तिका केवल मार्गदर्शन के लिए है इसलिए आप इसे कानून का पूरा कथन समझ कर इस पर निर्भर न करें। यदि आप कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको किसी वकील, citizens advice bureau, Patient Advice & Support Service या सलाह देने वाली किसी दूसरी एजेंसी से संपर्क करना चाहिए। **NHS inform द्वारा तैयार किया गया**
To get this leaflet in another language or format phone your local NHS board. If you need help to do this contact the NHS inform Helpline on 0800 22 44 88 (textphone 18001 0800 22 44 88).	यह जानकारी किसी दूसरी भाषा या स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय NHS बोर्ड को फोन करें। यदि इसके लिए आपको सहायता की आवश्यकता है तो NHS inform फोन-सहायता से 0800 22 44 88 (textphone (टेक्स्टफोन) 18001 0800 22 44 88) पर संपर्क करें।

Version 5 published in February 2012 and due to be revised in February 2015.